(e) The cost benefit study done for the purpose of Public Investment Board (PIB) with base date of 1st Quarter 1994 showed an Internal Rate of Return of 5.3% presuming a 100% capacity utilisation.

Profit/Loss Earned by Rinl

1321. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the profit/loss earned by the Rashtriya Ispat Nigam Limited during the last two financial years;

(b) the reasons for the loss in 1996-97 extended upto the 30th September, 1997; and

(c) the steps proposed to look into the problems of Rashtriya Ispat Nigam Limited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) RINL has earned cash profits of Rs. 176 crore in 1996-97 and Rs. 15.60 crore in 1997-98. It, however, registered net losses during 1996-97 (Unaudited) 1997-98 (Unaudited & Prov.) to the tune of Rs. 148.39 crore (Unaudited) and Rs. 304.14 crore (Unaudited) respectively after considering the financial reliefs granted by the Government of India on 27.5.98.

(b) Despite cash profits during this period, RINL incurred net losses due to increase in input costs, sluggish market conditions, both in domestic and export markets, coupled with high incidence of capital related charges viz. interest & depreciation.

(c) Besides, introduction of appropriate technologies in critical areas to remove production bottlenecks and improvement in the product mix, a comprehensive rehabilitation study is contemplated to ensure long term viability of the Plant.

Removal of Freight Equalisation Scheme

1322. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of STEEL be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 605 given in Rajya Sabha on 28th July, 1997 and state:

(a) whether Government are confirming or denying the report mentioned in the aforesaid Unstarred Question that the leading Steel producers have sought total removal of freight equalisation system on iron and steel; and

(b) the recommendations of the Committee referred to in the aforesaid answer and Government's action plan on the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) It is a fact that the main producers of steel had sought removal of freight ceiling on iron and steel.

(b) The Committee has since submitted its report to Government, the same is under examination.

Agreement between Sail and Cil for Coking Coal

1323. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether a bilateral agreement has been entered into between the Steel Authority of India Limited & the Coal India Limited regarding supply of coking coal to SAIL by CIL.

(b) if so, the terms of the agreement; and

(c) the period of agreement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Yes, Sir.

(b) Salient terms of agreement relate to quantity, quality, bonus/penalty on ash variation, price in respect of supplies of coking coal from the washeries of BCCL, CCL, WCL and direct supply from BCCL.

(c) The contract period is from 1.1.1998 to 31.3.1999.

कुछ राज्यों में इस्पात क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए समिति

1324. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इस्पात क्षेत्र के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) क्या सरकार ने दूसरे क्षेत्रों के लिए भी ऐसी ही समितियां गठित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है;

(ग) क्या सरकार को इन समितियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार को गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश अथवा अन्य राज्यों में इस्पात क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समिति के गठन की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के निर्यात हेतु नए बाजार

1325. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस्पात के निर्यात हेतु नये बाजारों का पता लगाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्षों के दौरान किसी विशिष्ट निर्यात हेतु किन्हीं नये बाजारों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार लोहे और इस्पात का निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। लोहे और इस्पात का निर्यात और वह स्थान, जहां निर्यात करना है, अनेक घटकों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मांग, घरेलू मूल्य, आयातक देशों में मूल्य आदि, पर निर्भर करता है। ये घटक प्रायः परिवर्तनशील होते हैं और बार-बार बदलते रहते हैं मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर उद्यमी स्वयं निर्यात बाजार तलाश करते हैं और उनमें प्रवेश करते हैं। तथापि, सरकार ने निर्यात संवर्धन और बाजार के विकास हेतु 5.00 करोड़ रुपए निर्धारित करने का निश्चय किया है।

लोहे और इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में एक इस्पात निर्यातक मंच की स्थापना की है। प्रमुख इस्पात उत्पादक और एसोसिएशनें इसकी सदस्य हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस मंच के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ऐसे तरीकों द्वारा लोहे और इस्पात के निर्यात का समर्थन, संरक्षण, अनुरक्षण, वृद्धि और संवर्धन करना जो आवश्यक अथवा शीघ्र हों।

(ख) सघन बाजार अनुसंधान के जरिए संभावित निर्यात बाजार का पता लगाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट मांग की पूर्ति हेतु उत्पादों का विकास करना।

निर्यात की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) निर्यात आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्णतः परिवर्तनीयता,

(ii) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत बिना शुल्क के कच्चे माल की अपनी आवश्यकता का आयात करने के लिए निर्यातकों को सुविधा उपलब्ध है।

(iii) निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित अथवा शुल्क योग्य सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क को वापिस करना।

(iv) धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत निर्यात आय को आयकर से छूट देना।

(v) लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोहे और इस्पात की अधिकांश मदों की ड्यूटी इन्फ्राइटेलमेन्ट